

भाग- IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा गये जाने के लिए)

17.	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	प्रमाणित वन अधिकारी, मौबल की तहसील दिनांक 22/10/18 तब्रा मज्जा वन संरक्षक, मिर्जापुर की तहसील दिनांक 12/10/18 के वन के तहसील की जारी हो
-----	--	---

तिथि 22/10/18

स्थान


22/10/18

हस्ताक्षर Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
नाम U.P. Lucknow

सरकारी मोहर